न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
02/21	अपील	18.01.2021	26.04.22

1. रंगा पुत्र श्रीया जाति मीना निवासी रामगढमुराडा तह0 गंगापुर सिटी जिला स0मा0

–अपीलार्थी–

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी।

–रेस्पोडेन्ट–

निर्णय दिनांकः. 26.04.22

1 यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय नायब तहसीलदार तलावडा तहसील, गंगापुर सिटी उनवानी मुकदमा सरकार बनाम रंगा मुकदमा नंबर–616/14 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 व 23.10. 2017 के विरूद्ध पेश की गई।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का खेडा बाढ रामगढ की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल0आर0एक्ट0 का नोटिस अपीलार्थी को जारी किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 2 रकवा 0.10 है0 ग्राम रामगढ मुराडा पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा करना अंकित किया। तथा उक्त नोटिस के आधार पर कायम मुकदमें में दिनांक 13.10.2014 को न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावडा द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी को 60 दिन के सिविल कारावास एवं 32/– रूपयें की शास्ति से दण्डित कर भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये। जिसके विरूद्ध न्यायालय ए0डी0एम0, सवाई माधोपुर के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश की, जिसमें दिनांक 11.02.2017 को ए0डी0एम0 सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया। जिसमें बेदखली के आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास के आदेश को अपीलार्थी का मौके पर कब्जे की जांच करवाई जाकर अपीलार्थी का कब्जा नही पाये जाने की स्थिति में निरस्त करने के आदेश पारित कर पत्रावली नायब तहसीलदार, तलावडा को रिमाण्ड कर दी गई। जिस पर दिनांक 02.05.2017 को नायब तहसीलदार, तलावडा के यहां पत्रावली पुनः दर्ज की जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। जबकि नायब तहसीलदार, तलावडा द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी को कभी कोई सूचना नही दी गई। तथा अपीलार्थी को बिना सुने या सूचना दिये दिनांक 05.11.2015 को नायब तहसीलदार, तलावडा द्वारा पुनः अपीलार्थी के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये। तथा पुनः दिनांक 25.05.2017 को पटवारी हल्का से पुनः कब्जा रिपोर्ट ली गई, जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नही रही, तथा अपीलार्थी की बिना जानकारी के पटवारी हल्का से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 23.10.2017 को पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये गये।

3 अपील मे अपीलार्थी द्वारा आगे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 व 23.10.2017 की अपीलार्थी को कभी कोई जानकारी नही रही, परन्तु अचानक दिनांक 31.12.2020 को दो पुलिस वाले अपीलार्थी के घर गिरफ्तारी का वारंट लेकर आये, उस समय अपीलार्थी बाहर गया हुआ था, उक्त पुलिस वाले प्रार्थी के लडके को यह कहकर आये कि तुम्हारे पिताजी रंगा के नायब तहसीलदार तलावडा के यहां से गिरफ्तारी वारंट है इसलिये उन्हें तलावडा भेज देना। वरना हम पकड कर ले जायेगें। इस पर अपीलार्थी के पुत्र ने अपीलार्थी को सूचना दी तथा दिनांक 01.01.2021 को अपीलार्थी के पुत्र ने उपतहसील तलावडा में जाकर प्रकरण के बारे में जानकारी की तथा नकल के लिये आवेदन किया, नकल दिनांक 01.01.2021 को ही मिलने पर उसका अवलोकन करने पर सम्पूर्ण प्रकरण में की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी हुई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2015 को पारित निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 01.01.2021 को हुई, जिसकी नकल दिनांक 01.01.2021 को मिलने से अपील अन्दर मियाद पेश है।

4 अपीलार्थी ने अपील मे निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 05.11.2015 व 23.10.2017 उनवानी सरकार बनाम रंगा मुकदमा नं0 616/14 निरस्त फरमाया जावें। अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

5 बहस अधिवक्ता अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता साथ ही अपीलार्थी को सूचित किए बिना कार्यवाही की गई है जो कि न्यायिक सिद्धान्तों की अवहेलना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

6 हमने अपील पत्रावली एवं मिसल अधीनस्थ न्यायालय का अद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के मुताबिक दिनांक 05.11.2015 व 25.10.2017 को भू0अ0नि0 की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अतिक्रमी द्वारा कब्जा नही हटाने के कारण न्यायालय ए0डी0एम0 सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27.05.2015 की पालना में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किए गए। भू0अ0नि0 ने दिनांक 05.11.2015, 25.10.2017 व एक अन्य प्रार्थना पत्र, जिसमें दिनांक अंकित नही है में नायब तहसीलदार, तलाबडा को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें पुनः मौका देखा जाने तथा अतिक्रमी द्वारा कब्जा नही हटाने का उल्लेख है। जबकि इसके साथ न कोई मौका रिपोर्ट है और न ही यह उल्लेख है कि किस–किस की उपस्थिति मे मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही मौका देखने हेतु अतिक्रमी को सूचित करने का प्रमाण भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे कही नही है।

7 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्याय हित में स्वीकार करते है। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने भूमि ख0नं0 02 रकवा 0.10 हैक्टर ग्राम रामगढ मुराडा पर कृषि वर्ष संवत् 2071 से पूर्व का अतिक्रमण होने की पटवारी रिपोर्ट पर अदालत मातहत ने अपीलार्थी को 60 दिवस के सिविल कारावास एवं लगान 0.63 की 50 गुना शास्ति 32/–रू. आरोपित करने के दण्ड से दंडित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर (राज.)

किया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 91 का सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। प्रकरण में न्यायालय ए0डी0एम0 सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 27.05.2015 की समुचित पालना नही की गई है। आदेश दिनांक 27.05.2015 की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को मौका देखने हेतु नियमानुसार लिखित में सूचित किया जाना चाहिए था। तथा सूचना देने के बाद भू–अभिलेख निरीक्षक/ पटवारी द्वारा अतिक्रमी व अन्य स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी जो हस्तगत प्रकरण मे नही किया गया है।

आदेश

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार, तलाबडा को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक 27.05.2015 की पालना मे अपीलार्थी को लिखित में सूचित करते हुए अपीलार्थी व स्वतंत्र गवाहो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार करे। यदि अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सिविल कारावास की हद तक निरस्त समझा जावें अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.04.22 को सरे इजलास सुनाया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी